



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : उपाधि / 360
दिनांक : 27-09-2022

विज्ञप्ति

संज्ञान में आया है कि जब छात्र/छात्राओं द्वारा उनकी मूल उपाधि गुम हो जाने पर अनुलिपि उपाधि (डुप्लीकेट उपाधि) हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त वांछित पत्राजात संलग्न नहीं किये जाते हैं जिससे अनुलिपि उपाधि निर्गत किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः छात्र/छात्राओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो कि अनुलिपि उपाधि हेतु कौन-कौन से पत्राजात संलग्न किये जाने हैं, के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा एक सूची तैयार की गयी है। इसकी भी सम्मानना हो सकती है कि किसी दूसरे छात्र द्वारा किसी अन्य छात्र की अनुलिपि उपाधि हेतु आवेदन कर दिया जाय और वह उसका दुरुपयोग करे।

अतः उक्त सम्मानना को नगण्य करने एवं सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को ही उनकी अनुलिपि उपाधि प्राप्त हो, के दृष्टिगत कुलसंचिव महोदय के आदेश के अनुपालन में छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि जब भी अपनी हो, के दृष्टिगत कुलसंचिव महोदय के आदेश के अनुपालन में छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि जब भी अपनी अनुलिपि उपाधि हेतु आवेदन करें तो उसके साथ निम्न पत्राजात अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करें जिससे नियमानुसार छात्र/छात्राओं को उनकी अनुलिपि उपाधि यथाशीघ्र प्राप्त हो सके :-

01. विश्वविद्यालय में अवस्थित इण्डियन बैंक से डुप्लीकेट उपाधि का एक फार्म।
02. परीक्षा नियंत्रक महोदय को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र, अन्तिम वर्ष की अकंतालिका एवं आधार कार्ड के दोनों ओर की स्वप्रमाणित प्रति।
03. एक शपथ-पत्र जिस पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा का एक फोटो चर्चा हो।
04. राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में छात्र/छात्रा के उपाधि के विवरण सहित गुम होने की सूचना।
05. सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की कापी।
06. उक्त रीति से आवेदन करने के उपरान्त सम्बन्धित छात्र/छात्रायें नियमानुसार अपनी अनुलिपि उपाधि (डुप्लीकेट डिप्री) किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक

✓

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, कुलपति को भा० कुलपति महोदया जी के सादर संज्ञानार्थ।
02. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय से कि अपने महाविद्यालय/संस्थान के छात्र/छात्राओं को उपरोक्त विज्ञप्ति से अवगत कराने का कष्ट करें।
03. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक, कुलसंचिव जी के सूचनार्थ।
05. प्रभारी वैबसाईट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
06. विश्वविद्यालय प्रेस प्रबक्ता को इस आशय से प्रेषित की वे छात्र/छात्राओं के हित में उक्त सूचना विश्वविद्यालय के परिषेक्त्र में आने वाले समस्त जिलों के समानित समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहा० कुलसंचिव (गोप)

0.5.
मुझे देव एडम्स
मुझे देव एडम्स। 28-9-22